

// प्रपत्र-चार //
नि. 69(7) एवं 70(6) देखें
{कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जावे }

1. मृत शासकीय सेवक का नाम
:-----
2. पिता/पति का नाम
:-----
3. अंतिम धारित पद
:-----
4. कार्यालय का नाम (जहां नियोजित था):-----
5. जन्मतिथि
:-----
6. सेवा प्रारंभ करने की तिथि
:-----
7. मृत्यु का दिनांक
:-----
8. सेवा अवधि
:वर्ष-----माह-----दिन-----
9. वेतनमान
:-----
10. अंतिम उपलब्धियां :1. मूल वेतन-----
2. मंहगाई भत्ता-----
11. परिवार पेंशनभोगी का नाम तथा:-----
12. मृतक से संबंध परिवार पेंशन की देय राशि :-
(क) बड़ी दर से :-----दिनांक-----से
रुपयें-----
(ख) साधारण दर से-----दिनांक-----से
रुपयें-----
13. परिवार पेंशन प्रारंभ होने की तिथि
:-----
14. उपादान राशि की गणना :-

अंतिम वेतन	अर्हतादायी सेवा (6 माहों में)	उपादान राशि की गणना अर्हतादायी सेवा एक्स अंतिम उपलब्धियां एक्स 1/4	देय उपादान राशि
1	2	3	4

15 पेंशन परिलब्धियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण:—

स.क्र.	नाम	मृतक से संबंध	भुगतान योग्य राशि	भुगतान योग्य राशि का आधार
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

16. संरक्षक का नाम जो अवयस्कों के मामलों

में:-----

मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपादान एवं परिवार पेंशन का भुगतान प्राप्त करेगा ।

17. संरक्षक का पत्र व्यवहार का पता

:-----

18. जिला कोषालय का नाम जहां से भुगतान चाहते

हैं:-----

19. मृत शासकीय सेवक के विरुद्ध अवशेष वसूलियों का विवरण(आवास किराया) जल कर सहित:—

स.क्र.	विवरण	अवशेष राशि	सक्षम अधिकारी के वसूली हेतु आदेश क्र. एवं दि.	रिमार्क
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

कार्यालय प्रमुख का घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्व.

श्री / श्रीमती-----

के संबंध में उपर्युक्तानुसार दिया गया विवरण सही है तथा इसकी पुष्टि कार्यालयीन अभिलेख तथा संबंधित के सेवा-अभिलेख से कर ली गई है ।

स्थान:-----

दिनांक:-----

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
पदनाम (सील सहित)